प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 03579/2022-2023 दिनांक 10/03/2023

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/SUL/19557/2022-2023 पत्रावली संख्या:F-26159 दिनांक:2007-2008

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **बाबा खुशियालदास शोध एवं शिक्षण संस्थान, ग्रा0 शुकुलपुर देहली बाजार, पो0 अतौला, तह0 बल्दीराय, जिला सुलतानपुर, उ0प्र0, सुलतानपुर, 227814** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 3069/2007-08 दिनांक-20/02/2008 को दिनांक-20/02/2023 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1100 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(VANDNA SINGH)
6E75D31DDC68DD7047DFD9193A489C5FB0C6EF66
Date: 10/03/2023 4:27:06 PM, Location: Ayodhya.

जारी करने का दिनांक-10/03/2023

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AD 379653

बाबा खुशीराम दास
शोध एवं शिक्षण संस्थान
सुलतानपुर रजि० 26159
प्रबन्ध समिति सूची
वर्ष 2018 – 19

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म सोसाइटी तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
11/04/18

Principal
S D Harsh College of Pharmacy
Raincha, Sultanpur, U.P

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

85AB 988416

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म समितियाँ तथा चिट्स
फैजाबाद (उ०प्र०)
24/08/13

श्री बाबा खुशियालदास शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ... 26159
सुल्तानपुर
प्रबन्ध समिति की सूची
वर्ष 2011 - 2012 -

Principal
S D Harsh College of Pharmacy
Raincha, Sultanpur, U.P

संस्था बाबा खुशियालदास शोध एवं शिक्षण संस्थान शुकुलपुर देहली बाजार, सुलतानपुर के प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची (नाम, पते एवं व्यवसाय सहित)

वर्ष– 2011–12

क्र.सं.	नाम–पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री ऋषिराज शुक्ल पुत्र श्री भुलई प्रसाद शुक्ल	ग्राम– शुक्लपुर, पो.– अतौला, जिला– सुलातनपुर	अध्यक्ष	कृषि
2.	श्रीमती तरंग तिवारी पत्नी श्री हरिप्रसाद तिवारी	ग्राम– पूरे भोगई तिवारी पो.–जोरियम, जिला– फैजाबाद	उपाध्यक्ष	गृहणी
3.	श्री विशाल शुक्ल पुत्र श्री माताहर्ष शुक्ल	ग्राम– शुक्लपुर, पो.– अतौला, जिला– सुलातनपुर	प्रबन्धक	समाजसेवा
4.	श्रीमती निशा शुक्ला पत्नी श्री विकास कुमार शुक्ल	ग्राम– शुक्लपुर, पो.– अतौला, जिला– सुलातनपुर	उप प्रबन्धक	गृहणी
5.	श्री चन्द्रशेखर मिश्र पुत्र श्री राम अवध मिश्र	ग्रा.–फत्तेपुर, पो.– सिकरी, जिला– सुलतानपुर	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
6.	श्री संतोष शुक्ल पुत्र श्री राम मनोरथ शुक्ल	ग्रा.– देहली बाजार, पो.– अतौला, जिला– सुलतानपुर	सदस्य	व्यापार
7.	श्रीमती मिनाक्षी तिवारी पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार तिवारी	ग्रा.– देहली बाजार, पो.– अतौला, जिला– सुलतानपुर	सदस्य	गृहणी
8.	श्री राम बहादुर पुत्र श्री राममिलन	ग्रा.– देहली बाजार, पो.– अतौला, जिला– सुलतानपुर	सदस्य	कृषि

सत्य प्रतिलिपि -17-04-2012

उप निबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स फैजाबाद (उ० प्र०)

Principal
S D Harsh College of Pharmacy
Raincha, Sultanpur, U.P

बाबा खुशियालदास शोध एवं शिक्षण संस्थान

ग्रा० शुकुलपुर देहली बाजार, पो० अतौला, तह० व थाना बल्दीराय,
जिला सुलतानपुर उ०प्र०

प्रबन्धसमिति की सूची

वर्ष 2018-2019

क्र.सं.	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री भूपेन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री इन्दुमणि पाण्डेय	ग्रा0 राघवपुर, पो0 मांयग जिला सुलतानपुर	अध्यक्ष	कृषि
2.	श्रीमती तरंग तिवारी पत्नी श्री हरि प्रसाद तिवारी	ग्रा0 पूरे भोगाई तिवारी, पो0 जोरियम, जिला फैजाबाद	उपाध्यक्ष	गृहिणी
3.	श्री विशाल कुमार पुत्र श्री माताहर्ष	ग्रा0 शुकुलपुर, पो0 अतौला जिला सुलतानपुर	प्रबन्धक	समाजसेवा
4.	श्रीमती निशा शुक्ला पत्नी श्री विकास कुमार शुक्ला	ग्रा0 शुकुलपुर, पो0 अतौला जिला सुलतानपुर	उपप्रबन्धक	गृहिणी
5.	श्री चन्द्रशेखर मिश्र पुत्र श्री राम अवध मिश्र	ग्रा0 फत्तेपुर, पो0 सिकरी, जिला सुलतानपुर	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
6.	श्री संतोष शुक्ल पुत्र श्री राम मनोरथ शुक्ला	ग्रा0 देहली बाजार, पो0 अतौला, जिला सुलतानपुर	सदस्य	व्यापार
7.	श्रीमती मिनाक्षी तिवारी पत्नी श्री जितेन्द्र कुमार तिवारी	ग्रा0 देहली बाजार, पो0 अतौला, जिला सुलतानपुर	सदस्य	गृहिणी
8.	श्री कृष्ण देव मिश्र पुत्र श्री जगदम्बा प्रसाद मिश्र	ग्रा0 व पो0 बभनगंवा, जिला सुलतानपुर	सदस्य	कृषि

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ०प्र०)

B. Pandey

निशा

संतोष

(प्रबन्धक)

Principal
S D Harsh College of Pharmacy
Raincha, Sultanpur, U.P

स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम : बाबा खुशियालदास शोध एवं शिक्षण संस्थान
2. संस्था का पता : ग्राम शुकुलपुर देहली बाजार पो.अलौला तहसील सदर थाना बल्दीराय. जिला सुलतानपुर
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य :

1. शिक्षा, ललित कला, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी जानकारी लोगों तक पहुचाना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना।
2. सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार संगोष्ठी, सेमिनार प्रदर्शनी आदि के द्वारा उत्तम नैतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, चारित्रिक एवं सामाजिक मूल्यों का प्रचार–प्रसार करना एवं बढावा देना।
3. शिक्षा का विकास हेतु प्रारम्भिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षण संस्थाएं खोलना व उनका निःशुल्क संचालन करना तथा पुस्तकालय की संस्थापना करना।
4. समाज के वृद्ध, असहाय, निर्धन अनाथ लोगों के लिए वृद्धाश्रम, अनाथालय, बालवाड़ी आदि की व्यवस्था करना।
5. बालक एवं बालिकाओं को उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत और हिन्दी भाषाओं का समुचित ज्ञान कराना।

समाज के निर्धन असहाय बालक–बालिकाओं को कृषि, विज्ञान, कला, वाणिज्य आदि वर्ग के साथ निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना।

7. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास हेतु शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न शैक्षणिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, त्वरित शिक्षा, सतत् शिक्षा, प्रतियोगितात्मक शिक्षा, इलेक्ट्रकल एवं इलेक्ट्रानिक्स शिक्षा, आदि का निशुल्क संचालन करना।

दैवीय आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, अग्निकांड, भूकम्प, आदि से प्रभावित लोगों की सहायता करने का प्रयास करना।

9. ग्रामीण अंचल के लोगों के स्वास्थ्य हेतु योग और प्राकृतिक योग चिकित्सा, खेलकूद इत्यदि का समय–समय पर निःशुल्क प्रशिक्षण देना।
10. ग्रामीण स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, ग्रामीण आवास, तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का संचालन करना तथा कम लागत से आवास निर्माण सम्बंधी सरकारी सहयोग की नवीनतम जानकारी ग्रामीण अंचल की जनता तक पहुचाना।

अल्पसंख्यक,असहाय,नेत्रहीन,विकलांग,मूक बधिर एवं अनाथ निर्धन छात्रों के लिए शासन–प्रशासन द्वारा जनहित व कल्याणकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वितकरना।

12. विकलांगों के प्रशिक्षण एवं पुर्नवास की व्यवस्था करना एवं विकलांग कृत्रिम अंगों के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं में सहयोग प्रदानकरना।

समाज मे प्रचलित विभिन्न कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, छूआछूत, नशावृति इत्यादि के उनमूलन हेतु यथा संभव प्रयास करना।

कृषकों विशेष रूप से छोटे, सीमान्त और महिला कृषकों में जैविक खादों जैसे वर्मी कम्पोस्ट,काऊपिट पैट, नैडप एवं एकीकृत कीटनाशी के प्रति मृदा एवं पर्यावरण संतुलन हेतु जागरूकता पैदा करना, कृषि संसाधन जुटाना इसके लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
19/03/2018

Principal
S D Harsh College of Pharmacy
Raincha, Sultanpur, U.P

15. वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण आदि कार्यक्रम एवं सरकार द्वारा संचालित अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों में योगदान प्रदान करना।

16. समाज के युवक/युवतियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कताई, शिल्प कला, हस्तशिल्प कला, दस्तकारी, ललित कला, संगीत, नृत्य, थियेटर, अभिनय, फोटोग्राफी, कियेटिव राइटिंग, फैशन शो एवं डान्स कम्पटीशन, ब्यूटीशियन, फैशन डिजाईनिंग, चिकन, जरी, डालमेकिंग, फलावार मेकिंग, कम्पयूटर, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, प्रिन्टिंग, स्कीन प्रिन्टिग, आफसेट प्रिन्टिंग पेन्टिग वाल पेन्टिंग, इन्टीरियर डिजाईनिंग आदि का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वावलम्बन की भावना जाग्रत करना।

17. शिक्षा की आवश्यकता नारी शिक्षा एवं महिलाओं के लिए समान अधिकार जैसे मुद्दों के प्रति समाज में जागरूकता लाने हेतु प्रयास करना।

18. समाज के निर्धन वर्ग को स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों से अवगत कराना तथा उनके स्वस्थ्य जीवन लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

19. घातक संक्रामक बीमारियों जैसे टी.बी., एड्स, मलेरिया, कैंसर, मधुमेह, फाइलेरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस आदि महामारी के प्रति लोगों को जागरूक व टीकाकरण कराना।

20. महिलाओं एवं बाल विकास कार्यकमों का संचालन करना तथा हस्तशिल्प के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं एंव कार्यकमों का संचालन करना।

21. आर. सी. एच0 कार्यक्रम सिफ्सा योजना एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को सम्पादित करना। स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र व बच्चा केन्द्र की व्यवस्था करके टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच आदि की व्यवस्था करना।

22. जड़ी बूटियों एवं प्राकृतिक बनौषधियों को उगाना एवं उनकी उपयोगिता के बारें में लोगों को जानकारी देना।

23. समाज कल्याण विभाग उ0प्र0, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड,नाबर्ड, कपार्ट आबार्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वस्त्र मंत्रालय, यूनीसेफ इत्यादि द्वारा संचालित महिला एवं बाल कल्याणकारी कार्यक्रम का संचालन करना।

24. ग्रामीण किसानों, मजदूरों एवं कारीगरों को ग्रामोद्योग सम्बंधी तकनीकी जानकारी दिलवाना तथा ग्रामोद्योग प्रशिक्षण दिलाकर उनमें आत्म विश्वास एवं स्वावलम्बन की भावना जागृत करना।

25. उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड तथा अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा संचालित ग्रामोद्योग की प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा उनका प्रचार प्रसार करना।

26. ऊसर भूमि सुधार,लघु एवं कुटीर उद्योगो आदि सम्बन्धी कार्यकमों का संचालन करने का प्रयास करना।

27. वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, पेट्रोलियम बचत, सड़क सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, बंधुवा मजदूर, बालश्रम उन्मूलन, दहेज उन्मूलन, मद्य निषेध, महिलाओं को समानता का अधिकार, पंचायती राज भारत सरकार की योजनाओं के प्रसार–प्रचार के लिए जागरूकता कार्यक्रम तथा सम्बन्धित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।

28. दुग्ध उत्पादन, मतस्य पालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी, सब्जी उत्पादन एवं अन्य कृषि आधारित एवं कृषि संबंधी कार्यक्रमों द्वारा आर्थिक विकास के लिए प्रशिक्षण एवं अन्य रोजगार परक योजनाओं का संचालन।

29. समाज के छोटे तबकों में नियमित छोटे बचत, बीमाकरण की भावना को प्रोत्साहित करना, महिलाओ के स्वयं सहायता समूह के गठन के लिए तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्ध की सहायता करना।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)

Principal
S D Harsh College of Pharmacy
Raincha, Sultanpur, U.P

५. संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमों के अनुरूप कार्यभार सौपे गये हैं।

क्र.सं.	नाम–पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री ऋषि राज शुक्ल पुत्र श्री भुलई प्रसाद शुक्ल	ग्राम शुक्लपुर पो.अतौला जिला सुलतानपुर	अध्यक्ष	कृषि
2	श्रीमती तरंग तिवारी पत्नी श्री हरिप्रसाद तिवारी	ग्राम पूरेभोगई तिवारी पो.जोरियम जिला फैजाबाद	उपाध्यक्ष	गृहणी
3	डा.विवेक शुक्ल पुत्र श्री माता हर्ष शुक्ल	ग्राम शुकुलपुर देहली बाजार पो.अतौला सुलतानपुर	प्रबन्धक	समाजसेवा
4	श्रीमती निशा शुक्ला पत्नी श्री विकास कुमार शुक्ल	ग्राम देहली खास पो.अतौला जिला सुलतानपुर	उपप्रबन्धक	गृहणी
5	श्री चन्द्रशेखर मिश्र पुत्र श्री रामअवध मिश्र	ग्राम फत्तेहपुर पो.सिकरी जिला सुलतानपुर	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
6	श्री संतोष शुक्ल पुत्र श्री राममनोरथ शुक्ल	ग्राम देहली बाजार पो.अतौला सुलतानपुर	सदस्य	व्यापार
7	श्रीमती मिनाक्षी तिवारी पत्नी जितेन्द्र कुमार तिवारी	ग्राम देहली पो.अतौला जिला सुलतानपुर	सदस्य	गृहणी
8	श्री रामबहादुर पुत्र श्री राममिलन	ग्राम देहली पो.अतौला जिला सुलतानपुर	सदस्य	कृषि

(६) हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था उपरोक्त को स्मृति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21,1860 के अन्तर्गत समिति को पंजीकृत कराना चाहते है :-

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक

हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
19/03/2008

Vivek

Principal
S D Harsh College of Pharmacy
Raincha, Sultanpur, U.P

नियमावली

1. संस्था का नाम : बाबा खुशियालदास शोध एवं शिक्षण संस्थान
2. संस्था का पता : ग्राम शुकुलपुर देहली बाजार पो.अलौला तहसील सदर थाना बल्दीराय जिला सुलतानपुर
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग:

आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को निःस्वार्थ भाव से एक बार मे 1000/रूपया वार्षिक नकद या इतने ही मूल्य की संपत्ति चल या अचल रूप में प्रदान करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य कहलायेगा

सामान्य सदस्य : जो व्यकित संस्था के विकास हेतु 100/रूपया सालाना चन्दा प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा ।

5 सदस्यता की समाप्तिः

1 मृत्यु हो जाने पर ।
2 पागल या दिवालिया हो जाने पर ।
3 संस्था के प्रति हानि कर कार्य करने पर।
4 अविश्वास प्रस्ताव या त्यागपत्र पारित होने पर ।
5 नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।
6 नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।
7 लगातार तीन बैठको में अनुपस्थित होने पर।
8 प्राथमिक सदस्य अवधि में अनुशासनहीनता एंव अनैतिक कार्य मे लिप्ट होने पर।

(मुहर: निबन्धक समितियां ... फैजाबाद-उ० प्र०)

6 संस्था के अंग : 1 साधारण सभा 2 प्रबन्धकारिणी समिति ।

7 साधारण सभा :

गठन : संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठके : साधारण सभा की सामान्य बैठक साल मे एक बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि : साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

गणपूर्ति : साधारण सभा के कुल सदस्यों मे से 2/3सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी परन्तु स्थगित गणपूर्ति के अभाव मे एक बैठक स्थगित होने पर पुनः बुलाई गयी दूसरी बैठक मे गणपूर्ति का प्रतिबन्ध न होगा ।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटियां तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
19/03/2008

Vivek
मीनाक्षी
तरंग
निशा
संदीप

Principal
S D Harsh College of Pharmacy
Raincha, Sultanpur, U.P

वार्षिक अधिवेशन : साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी ।

साधारण सभा के कर्तव्य: 1 प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2 संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
3 संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4 संस्था के नियमों में संशोधन प्रकिया करना।

8. प्रबन्ध कारिणी समिति :

गठन : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी का गठन होगा, जिनमे अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, प्रबन्धक एक, उपप्रबन्धक एक, कोषाध्यक्ष एक, तथा 03 सदस्य सहित कुल संख्या 08 होगी।

बैठके : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में कम से कम एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय आहूत की जा सकती है ।

सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा।

गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग बहुमत कोरम होगा एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः दुबारा बुलाई गई बैठक के लिए कोरम का प्रतिबन्ध न होगा

रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के रिक्त स्थान होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :1 संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
2 संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
3 संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा।

9 प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

अध्यक्ष : बैठक की अध्यक्षता करना।
2. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
बैठक का एजेण्डा तैयार करना।
संस्था के बैठकों की सूचना प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों को देना।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटियां तथा चिट्स फैजाबाद (उ०प्र०)
19/03/2008

Vivek
निशा

Principal
S D Harsh College of Pharmacy
Raincha, Sultanpur, U.P

उपाध्यक्ष :		अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यक्ष के कार्यों मे सहयोग प्रदान करना।
प्रबन्धक :	1.	समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।
	2.	बैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना परिवर्तन करना।
	3.	संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।
	4.	पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना।
	5.	पारित बजट के अर्न्तगत व्यय को स्वीकृति प्रदान करना।
	6.	कर्मचारियों / अध्यापकों को नियुक्ति पदोन्निति एवं सेवामुक्ति करना।
	7.	सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना तथा नये सदस्यों को बनाना।
	8.	समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
	9.	बिल एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
	10.	आवश्यकतानुसार उप समितियों का गठन करना।
	11.	समस्त संस्थाओं / एंजेसियों / विभाग / मंत्रालय सेसंबंधित समस्त प्रपत्रों, लेखो–विलेखों पर हस्ताक्षर करना।
	12.	चल एवं अचल संपत्ति को देख–रेख व सुरक्षा करना।
	13.	संस्था के वित्तीय मामलों में निर्णय लेना।
	14.	बैठक की कार्यवाही पढ़कर सुनाना एवं उसे लिपिबद्ध करना।
	15.	संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
	16.	संस्था का कार्यालयी प्रबंध देखना।
उपप्रबन्धक :		प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उसके द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करना तथा आवश्यकतानुसार प्रबन्धक के कार्यों मे सहयोग प्रदान करना।
कोषाध्यक्ष :	1.	आय व्यय का लेखा जोखा रखना।
	2.	सदस्यों से सदस्यता शुल्क, चंदा–दान आदि प्राप्त करना।
	3.	प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियां तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
19/03/2008

Vivek

Principal
S D Harsh College of Pharmacy
Raincha, Sultanpur, U.P

10 संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रकिया :

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रकिया साधारण सभा के 2/3सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा।

11 संस्था का कोष : संस्था का समस्त कोष स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका आहरण प्रबन्धक तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

12 संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण आडिट :

संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष किसी सुयोग्य आडीटर द्वारा कराया जायेगा।

13 संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :

संस्था द्वारा होने वाली पक्ष–विपक्ष के मुकदमों की पैरवी प्रबन्धक अथवा उसके द्वारा अधिकृत अन्य किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

15 उत्तरदायित्व : संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के उपप्रबन्धक पर होगा या उसके द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति पर होगा।

16 संस्था के अभिलेख :

1 सदस्यता रजिस्टर 2 कार्यवाही राजिस्टर 3 सूचना/एजेन्डा रजिस्टर

4 लेजर–कैश बुक आदि

17 संस्था के विघटन एवं विघटित संपत्ति के निस्तारण को कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक :

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
19/3/2008

Vivek

Principal
S D Harsh College of Pharmacy
Raincha, Sultanpur, U.P